

आदेश की  
क्रम सं0 और  
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

20.1.23

प्रथम पक्ष - की हाजरी है।  
 प्रथम पक्ष - D/C दारिद्वल किया गया है  
 दिनांक 27/01/23 को शामिल कर  
 उपस्थित है।  
 27/1/23

27.1.23

प्रथम पक्ष - वकालत हाजरी है।  
 द्वितीय पक्ष - की हाजरी है।  
 द्वितीय पक्ष के विरुद्ध आविष्कार बसाओ  
 समिति के कर दलील दिया है कि  
 विकारित इस माननीय दारिद्वल न्यायालय  
 में कोर्टवाप से संबंधित कार हापर किया  
 गया है।  
 प्रथम पक्ष इस कोर्टवाप से संबंधित होने  
 के कारण (बचल के कारण - 144 द.प्र.स  
 लागू नहीं किया जा सकता है।  
 कार में आपत्तही समाप्त है। दि.वि.मे.प  
 को संत किया जाता है।  
 27/1/23